ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-4* May-2017
Innovation The Research Concept

तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन और नया पंचायती राज (एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य)

प्रवीण कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
एस0 डी0 कॉलेज,
गाजियाबाद,उ0 प्र0

सारांश

देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1993 को नये पंचायती राज विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसे 24 अप्रैल को संविधान में संशोधन कर लागू कर दिया गया। इसीलिये इसे 73वॉ संविधान संशोधन कहा जाता है। 73वे संशोधन के माध्यम से पंचायतो में महिलाओ को एक तिहाई पद देना समानता की ओर एक बड़ा कदम है मगर इसकी सफलतापूर्वक अदायगी के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान नही किया गया। महिला नेतृत्व को मुखर करने के लिए सरकारी प्रयासो के अलावा स्थानीय लोगो और गैरसरकारी संस्थाओ/संगठननो द्वारा भी महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाए जाए। ये संगठन/समूह महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करेगे और सक्रिय रूप से सहयेागी की भूमिका निभाएंगे। योजना बनाने से लेकर निर्णय तक में महिला भागीदारी का जगह मिले। मजदूरी करके पेट पालने वाले परिवारो की गरीब महिलाओं से काम छोड़कर पंचायतो में प्रभावशाली भूमिका की अपेक्षा करना बेमानी होगा। अतः उनके आर्थिक विकास हेतु भी विशेष प्रयास करने होगे। संविधान की भावनाओ को व्यावहारिक बनाने के लिए पुनः सामाजिक सुधार को आंदोलन का रूप देना होगा। वास्तविक रूप में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जरूरत है उन्हे सम्मान, सहयोग और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : तिहत्तरवाँ संविधान संशोधन, पंचायती राज

प्रस्तावना

देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वरा 20 अप्रैल 1993 को नये पंचायती राज विधेयक को स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसे 24 अप्रैल को संविधान में संशोधन कर लागू कर दिया गया। इसीलिये इसे 73वॉ संविधान संशोधन कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह थी किः

1. ग्राम सभा को पंचायतीराज प्रणाली का अधार माना गया।
2. ग्राम, क्षेत्र व जिला स्तरो पर पंचायतो के तीन स्तर होगे।
3. तीनो स्तरो पर सदस्यो के सीधे चुनाव होगे।
4. प्रत्येक स्तर का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। पंचायत भंग होने की स्थिति में छः माह के भीतर चुनाव अनिर्वाय है।
5. सभी स्तरो पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो की जनसंख्या के अनुपात मे सीटो को एक तिहाई आरक्षित किया जाएगा।
6. महिलाओं को कुल सीटो की एक तिहाई आरक्षित कर दी जायेगी विभिन्न स्तरो पर आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी।
7. पंचायतो में किसी भी स्तर पर या अध्यक्ष पदो हेतु पिछड़ी जातियो को आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
8. पंचायतो की वित्त व्यवस्था की देख रेख हेतु वित्त आयोग गठित किया जायेगा।
9. विकास योजनाओ हेतू पंचायतो को पर्याप्त धन प्रदान किया जाएगा।
10. पंचायतो को टैक्स वसूलने के अधिकार प्रदान किये गये।
11. पंचायतो की मतदाता सूची तैयार करना व सभी चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करेगा।
12. यदि कोई व्यक्ति कानून के तौर पर किसी भी स्तर पर गलत ठहराया जाता है तो वह पंचायत में किसी भी स्तर पर सदस्य नही बन सकेगा।
13. 11वी अनुसूची के अनुच्छेद 243 (छ) मे स्थानीय महत्तव के सभी कार्यो की योजना व क्रियान्वयन में पंचायत संस्थाओ को प्रभावी भूमिका प्रदान की गयी है। इन्हे 29 मुख्य कार्यो की सूची दी गयी है जो पंचायतो की देखरेख में होने है।

अध्ययन का उद्देश्य

73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की ग्रामीण स्वशासन में सहभागीधारिता, राजनैतिक चेतना जगी है व आत्मविश्वास बढ़ा है।

सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य महिलाओ (आधी दुनियॉ) को अनदेखा कर प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। इसी मकसद से नयी पंचायत व्यवस्था में महिलाओ की भागीदारी केा सुनिश्चित करने के प्रयास किये गये है अभी जो बाधाये उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आ रही है वे है महिलाओ का अनपढ़ होना, जागरूकता की कमी, उनका घरेलू हेाना, निर्णय लेने की अभ्यस्तता की कमी, महत्तवॉकांक्षाओ का निम्न स्तर, पुरूषो पर निर्भरता, पुरूष सहयोग की कमी, नव–परिवर्तनो के लिए मानसिक रूप से तैयार न होना।

गहराई से अवलोकन किया जाय तो पता चलता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तो बड़ा आधार स्तम्भ ही महिलाये है। फिर भी उन्हें निर्णय प्रक्रिया और विकास कार्यो में भागीदारी से दूर रखा जाता है। इसलिए 73वें संविधान संशोधन में पंचायतो में महिलाओ के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गयी। जिसका परिणाम यह हुआ कि करीब दस लाख महिलाये पंचायतो में विभिन्न स्तरो पर चुनी गयी जो ग्रामीण भारत में क्रांति से कुछ कम नही है। कुछ कुशल और साहसी पंचायत प्रतिनिधियो ने तो विभिन्न स्तरेा पर नए कीर्तिमान गढे है। जो यह बताने के लिए बहुत है कि महिलाये किसी भी स्तर में पीछे नही है चाहे वह आंध्रप्रदेश की फातिमा हो या गुजरात की सविता बेन और सधा पटेल हो, ऐसी कई महिला पंचायत प्रतिनिधि है जो ग्रामीण महिलाओ के लिए एक (मॉडल) आदर्श बनकर उभरी है और नयी पंचायत राज व्यवस्था इसका माध्यम बनी। पंचायत व्यवस्था ने महिलाओं को सशक्त होने का माहौल प्रदान किया है। जिससे उनके जीवन में एक नयापन और जागरूकता का संचार तो हुआ ही है उस पुरूषवादी सांमती मानसिकता पर भी चोट हुई है जो सदियो से महिलाओ को जकड़े हुए थी। इन तमाम पहलो के बावजूद भी इस संसोधन मे अभी शेष रह गई है। जैसे कि:

1. 73वे संविधान संशोधन की एक बड़ी कमी यह है कि शक्तियो का हस्तान्तरण राज्य सरकार की इच्छा पर ही होता है।
2. दूसरी कमी यह है कि अभी भी नौकरशाही के जाल कें कोई कमी नहीं आयी है उसकी जटिलता ज्यो की त्यो बनी हुई है।
3. तीसरा संकट वित्तीय संकट है जो लगातार बना हुआ है पंचायते तो बस कागजी काम कर रही है।

विशेषताऐं

1. पंचायतो केा संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ है।
2. समयबद्ध चुनाव निश्चित हुआ है।
3. दलितो, पिछड़ो व महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।
4. समाजिक न्याय के संवैधानिक ढाँचे को अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया गया।
5. लोकतांत्रिक अभ्यास को स्थानीय स्तर पर लाया गया है।
6. स्वशासन को लक्ष्य बनाया गया।
7. अनेक योजनाओ के माध्यम से आम ग्रामीणो की भागीदारी और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की पहल की गई।

नयी पंचायत व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओ की स्थापना की गई है। ग्राम स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय। इसके अंतर्गत हर पांच साल बाद पंचायत समीतियों के चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। पंचायत राज प्रणाली के कार्यान्वित होने से संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था मे परिर्वतन आया है। पंचायती राज में महिला आरक्षण की मांग को देखते हुए इस 73वें सविधान संशोधन में कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए भी एक तिहाई संख्या का आरक्षण किया गया। दिसंबर 1992 में इस विधेयक को पास किया गया। इस संविधान संशोधन के बाद भारत के पांरपरिक पुरूष प्रधान और पितृसत्तात्मक निर्णय लेने वाले समाज में अब निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का भी समावेश किया जाने लगा है। महिलाओं के लिए यह आरक्षण इसलिए भी जरूरी था क्योकि सदियो से महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिका से अलग रखा जाता रहा है! यद्यपि यह सही है कि महिला आरक्षण से प्रतिभागिता की गारंटी नही मिल सकती तथापि महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का यह एक अवसर आवश्य हे जिसका उन्हे सदुपयोग करना चाहिए। पुरूष प्रतिनिधि और महिला प्रतिनिधि के लिए पंचायती राज व्यवस्था में अब समान अधिकार है क्योकि दोनो ही एक समान चुनाव प्रक्रिया से सत्ता में आते है और जब देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा है तो नीति निर्धारण और **निर्णय–प्रक्रिया** में उनका समान प्रतिनिधित्व होना वाछित ही है। यह भी सही है कि निरक्षरता और परंपरा के कारण महिला प्रतिनिधि प्रायः गूंगी, अनुपस्थित और स्थानापन्न महिला प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही है और वास्तविक सत्ता उनके पति, भाई या पिता के हाथ में है। यहां तक कि महिला सरपंच भी अपना निर्णय लेने में पूरी तरह स्वतंत्र नही है। इन सबके बावजूद कुल मिला कर पंचायती राज से समाज में एक सकरात्मक परिवर्तन आया है। आत्मविश्वास का निर्माण जानकारी तक पहुँच, ईमानदारी, सहनशीलता, जिम्मेदारी,

गंभीरता, सक्रियता, आशावादिता, उपलब्ध संसाधनों के सदुपयोग और महिलाओं में पाए जाने वाले सहज स्वाभाविक गुण से वे कुशल राजनेता बन सकती है। पंचायत व्यवस्था तो सुनिए और सुनाइए तथा इस सुनहरे अवसर का उपयोग एक स्वस्थ समाज के निर्माण में करिए। इसी से मूक को वाणी मिलेगी और सजग निर्णय से दमनकारी सामाजिक ढांचे को चुनौती। ठेकेदार, अधिकारी और नेताओ की तिगड़ी को तोड़ने में महिला सही स्पष्ट और निर्भीक हो तो पुरूषो की भीड़ भी उसकी आवाज दबा नहीं पाएगी।

अतः स्पष्ट है कि संविधान के 73वे संशोधन के माध्यम से पंचायतो को अधिक स्वतंत्र और प्रभावशाली बनाया गया है। पंचायतो में महिलाओं को एक तिहाई पद देकर उन्हे ंसमानता की ओर लाने का प्रयास किया गया है।महिलाएं चुनाव प्रयास से लेकर सभी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियों में बढ़चढ़ कर भाग ले रही है। संयुक्त राष्ट्र संध के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय महिलाओं का राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों में योगदान विकसित देशाो की महिलाओं के येागदान की तुलना में कई गुना अधिक रहा है। अब तक लगभग 250 से अधिक भारतीय महिलाओं ने संसद में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देश की असीम सेवा की है। 12 महिलाएं आजादी के बाद से विभिन्न राज्यो की मुख्यमंत्री बन चुकी है। 198 जिला पंयायत की मुखिया महिला है। देश में कुल 594 जिला पंयायत में है।

संविधान के 73वें संशोधन की धारा 243 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंयायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाने वाले कुल स्थानो में से एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगे। महिलाओं को बढावा देने के लिए 73वे संविधान संशोधन अधिनियम में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हुआ। इसीलिए 67 प्रतिशत आवादी का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसी का परिणाम कि पंचायतो में विभिन्न पदों पर 1,63,000 और सरपंच पद पर 10,000 महिलाए सत्ता में शरीक हुई। पुरूष प्रधान समाज मे लम्बे समय से उपेक्षा की शिकार तथा उन्ही के निर्देशो पर चलने वाली उपेक्षित महिलाओं के लिए पंचायतो और स्थानीय निकायो में अपने लिए आरक्षित पदो के माध्यम से निर्वाचित होना, एक सुखद आश्चर्य है। देश में एक तिहाई ग्राम पंचायतो, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर क्षेत्र समितियो, नगर पलिका आदि में शासन की बागडोर इन महिलाओ के हाथो में है। यह भूमिका उनके लिए नई है। परंतु पंचायती राज के आठ साल पूरे हो जाने के पश्चात भी इन प्रतिनिधियों में राजनैतिक चेतना का विकास तो हुआ है पर जैसा की सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण महिलाये समस्या के बारे मे पूछा जाता है तब उनका स्तर "सड़क, पानी, नाली, अस्पताल, मकान, तक ही रहता है। महिला विकास जैसा चिंतन उनके दिमाग में है ही नहीं। महिलाओं कें शोषण का यही कारण है। महिलाओं को अपने शोषण के खिलाफ स्वंय लडाई लडनी होगी जिसमे पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका महत्तवपूर्ण होगी।

1. इन महिला प्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की गई है कि वे महिलाओं को साक्षार बनने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने, महिलाओ को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने, सामाजिक कुरीतियों के निवारण और महिला उत्पीड़न तथा शोषण को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
2. ये अपने क्षेत्र की महिलाओ से संपर्क करके उनकी समस्याओं को समझेगी और उन्हे पंयायत की बैठक में उठाकर निर्णय लेंगी।
3. महिला एवं बाल विकास की समस्याओ केा जन सहभागिता के द्वारा पंचायत में उठाएगी।
4. महिलाओ को जनसंख्या नियंत्रण के बारे मे जानकारी देने के लिए कार्यक्रमो की व्यवस्था करेंगी।
5. गांव में व्यावसायिक कार्यक्रमो को चलाने के लिए समाजसेवी संगठन तथा शासन से संपर्क बनाकर उन्हें चलाने का प्रंबध करेगी।
6. ग्रमीण स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने का प्रयास तथा उनकी जानकारी प्रत्येक को अपलब्ध कराना।
7. लोकतांत्रिक ढंग से काम करने का दायित्व।
8. शासन से दिए गए कार्य को निष्ठापूर्वक करने का दायित्व।
9. अपने निजी हितों को नजर अंदाज करके सर्वहित के लिए कार्य करना।
10. प्रशासनिक कार्यो की पूर्ति के लिए पंचायतो की बैठको में भाग लेना।
11. ग्राम सभा में महिलाओं की उपस्थिति तथा सहयोग को बढ़ावा देना।
12. सभी जाति व वर्ग की महिलाओ को एकजुट करना।

नयी पंचायत प्रणाली में महिलाओ की दोहरी भूमिका के लिए कुछ सुधारो की आवश्यकता है।

शिक्षा

ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं में शिक्षा का प्रयास किया जाए। प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक पैमाने पर संचालित किया जाए। लड़कियो को स्कूल तथा कालेज भेजने के लिए विशेष प्रवंध किए जाए। निरक्षर पंचों, जिला परिषद तथा पंचायत समिति के सदस्यो को साक्षर बनाया जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले में कम से कम दो महीने का गहन साक्षरता कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष चलाया जाए।

प्रशिक्षण

पंयायत में चुनी गई महिलाओ को बैठक की संचालन विधि लेखा–जोखा के रख रखाव नियम आदि का गहन प्रशिक्षण मिलना चाहिए। महिला आरक्षण का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब वे ग्राम सभा और पंयायतो की बैठको में जाएं। बैठक की कार्यवाही में भाग ल। तथा अपने विचार प्रकट करे और लिए गए निर्णयो के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका आदा करे इसके लिए प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

समन्वय समिति

जिला तथा राज्य स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति होनी चाहिए। जिसमे किसी सदस्य महिला जन प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो इसके लिए समन्वय समिति को जिला तथा राज्य स्तर पर मिलकर लड़ना चाहिए और समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए।

सूचना के अदान प्रदान तथा जन चेतना कार्यक्रम

पंचायती राज संस्थाओ में सूचना का आदान प्रदान होना आवश्यक है। सरकार के सभी कार्यक्रमों की सूचना, सभी जन प्रतिनिधियों का जल्द मिलें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद अच्छा कार्य कर रही है तो उसकी कार्य शैली की सूचना दूसरी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में जानी चाहिए। इन संस्थाओ के कार्यकलाप को दूसरी जगह के पंयायत प्रतिनिधियो को दिखाना चाहिए। इससे उनमे भी कुछ कर दिखाने की भावना जाग्रत होगी।

महिलाओं को कुछ जरूरी कानूनो की जानकारी हो

महिला जन प्रतिनिधि के रूप में यह आवश्यक है कि आप कुछ ऐसे कानूनो का ध्यान रखे जो महिलाओ को सामाजिक रूप से सशक्त कर सके। ऐसे कुछ उल्लेखनीय कानून हैः समान पारिश्रमिक कानून 1976, हिन्दू उत्तराधिकार नियम 1956, बाल विवाह अपराध नियम 1926–86, भारतीय दंड संहिता 1842, न्यूमतम मजदूरी कानून 1948, कर्मकार प्रतिकर नियम 1923, ठेका श्रम कानून 1970, बंधुआ मजदूरी कानून 1975 इसके अतिरिक्त महिलाओं की आसानी के लिए सभी ऐसे शहरों मे महिला थाना बनाए गए है।

अनेकानेक महिला जन प्रतिनिधियो के साक्षर न होने आथवा बैठको मे भाग लिए बैगर कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर कर देने से इस बात की संभावनाएं बढती है कि वे किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य कर बैठे। पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत ऐसे पदाधिकारियो को पद से हटाए जाने के प्रवधान है। धारा 86 के अंतर्गत यदि पंचायत का कोई पंच या सेवक पंचायत के किसी ऐसे धन या संपत्ति के नुकसान का दोषी हो जो कि उसके कर्तव्य के प्रति अवचार या घोर उपेक्षा के कारण हुआ हो तो उससे उक्त राशि वसूली की जायेगी। आगमी 6 वर्ष के लिए पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिवंध किया गया है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पंचायत पदाधिकारी यदि साक्षर नही हो तो वे पंचायत संबंधी किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने या अगूठा लगाने से पहले किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पंचायत की बैठक में ही अन्य व्यक्तियों के समक्ष उसे पढ़वाकर सुने और समझ ले। 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण शासन की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। जिससे महिलाओ की जिन्दगी में क्रांतिकारी बदलाव आऐ है। उनमे राजनैतिक चेतना जगी है और उनमे आत्मविश्वास बढ़ा है। इसके कुछ उदाहरण देश भर में देखे गए, हरियाणा के भिवानी जिले में लोहाक ब्लाक के अमीरदास गांव वालो ने सदियों पुरानी पुरूष प्रधान राजनैतिक प्रणाली को एक गंभीर चुनौती दी है। गांव के बुजुर्ग लोगो का कहना है कि महिलाओं को सत्ता में शत प्रतिशत हिस्सा देकर हम देश के नेताओ को दिखा देना चाहते हे कि केवल ऊँची–ऊँची बाते करने से महिलाओ का मुकद्दर नहीं बदला जा सकता। अगर महिलाओ का उत्थान चाहते है तो उन्हे अधिकार सौपें जाए और उन्हें **निर्णय–प्रक्रिया** में भागीदार बनाया जाए।

नयी पंयाचत व्यवस्था की ही देन है कि महिला प्रतिनिधित्व के कारण सार्वजनिक विषयो तथा निर्णयो पर महिलाओ का विचार–विमर्श का दायरा रसाईघर तक पहुंच गया है। जबकि पहले ये चौपालो तक ही सीमित था। सार्वजनिक मामलो में पुरूषो की जोड़ तोड़ को महिलाएं समझ नहीं पा रही है और वे उसे गोपनीय भी नही रख पाती है। परिणामतः कार्य प्रणाली से स्पष्टवादिता तथा खुलापन पहले की तुलना में अधिक है। इससे भ्रष्टाचार के अवसर भी कम हो रहे लें।

निष्कर्ष

अतः स्पष्ट है कि संविधान के 73वे संशोधन के माध्यम से पंचायतो में महिलाओ को एक तिहाई पद देनां समानता की ओर एक बडा कदम है मगर इसकी सफलतापूर्वक अदायगी के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान नही किया गया। महिला नेतृत्व को मुखर करने के लिए सरकारी प्रयासो के अलावा स्थानीय लोगो और गैरसरकारी संस्थाओ/संगठननो द्वारा भी महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाए जाए। ये संगठन/समूह महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करेगे और सक्रिय रूप से सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। योजना बनाने से लेकर निर्णय तक में महिला भागीदारी का जगह मिले। मजदूरी करके पेट पालने वाले परिवारो की गरीब महिलाओं से काम छोड़कर पंचायतो में प्रभावशाली भूमिका की अपेक्षा करना बेइमानी होगा।

अतः उनके आर्थिक विकास हेतु भी विशेष प्रयास करने होगे। संविधान की भावनाओ को व्यावहारिक बनाने के लिए पुनः सामाजिक सुधार को आंदोलन का रूप देना होगा। वास्तविक रूप में महिलाओं को सशक्त करने के लिए जरूरत है उन्हे सम्मान, सहयोग और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *अनिल दत्त मिश्र 1999ः "राजस्थान में नई पंचायत राज व्यवसथा में महिलाओं की भागीदारी", कुरूक्षेत्र,अंक 7 मई*
2. *शशि मित्तल 1999 "पंचायत राज और ग्रामीण विकास में महिला भागीदारी" कुरूक्षेत्र, अंक 10, अगस्त, पु0 41कु0 कुमुदिनी केलर 2002 "पंचायत राज और महिला नेतृत्व" कुरूक्षेत्र, अंक 6 अप्रैल 2002 पृ0 29–35*
3. *डा0 उर्मिला जैन 2002 "पंचायत में निर्वाचित महिलाएं और ग्रामीण विकास" कुरूक्षेत्र, अकं 6 अप्रैल पृ0 35´*
4. *डा0 अर्चना सिंह 2002"पंचायतो के जरिये ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका" कुरूक्षेत्र, अंक 2 दिसंबर पृ0 7*
5. *रामाज्ञा राय शशिधर 2002 "बिहार में पंचायती राज और महिला भागीदारी" कुरूक्षेत्र, वर्ष 48 अंक 2, दिसंबर पृ0 डा0 डी0 वर्मा 2002 "मध्य प्रदेश पंयायती राज में महिला प्रतिनिधियों का सबलीकरण" कुरूक्षेत्र, अंक 2, दिसंबर*
6. *चित्रा बनर्जी दिवाकरूनी 2005 "शक्ति रूपेण सेस्थिता" इंडिया टुडे 4 अप्रैल 2005 पृ0 24*
7. *पंचायती राज अपडेटः इंस्टीटयूट ऑफ सोशल सांइसेज*
8. *ओ0 सी0 सूद 2001:आजादी से 2001 तक पंयायती राज का सफर कुरूक्षेत्र, वर्ष जनवरी 2001, नई दिल्ली*